न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 28 / 2020 (2020 / 00054) दर्ज दिनांक 18.02.2020
वाद— अन्तर्गत धारा —88 आर0टी0 एक्ट

शीर्षक

अशोक कुमार आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण (पारीक) निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः— श्री राजमल तिवारी
पेरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0एक्ट

निर्णय

दिनांक 14.06.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत वाद बाबत् 88 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लखमणियास, पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में सोहनलाल आत्मज कजोड़ ब्राह्मण व अन्य के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 227, 228, 229, 781, 782, 783, 784 कुल किता 7 कुल रकबा 2.23 हे0 भूमि स्थित थी। जिसमें सोहनलाल का 1/8 हिस्सा निहित था। इसी प्रकार ग्राम लखमणियास, पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में सोहनलाल आत्मज कजोड़ ब्राह्मण व अन्य के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 104/2, 105/2 कुल किता 02 कुल रकबा 5.28 हे0 भूमि स्थित थी, जिसमें सोहनलाल का 1/2 हिस्सा निहित था। इसी प्रकार ग्राम लखमणियास, पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में सोहनलाल आत्मज कजोड़ ब्राह्मण व अन्य [illegible] अधिकार एवं कब्जे की आराजी चाह संख्या 103 रकबा 0.04 हे0 भूमि स्थित थी।

यह कि खातेदार सोहनलाल [illegible] स्वर्गवास होने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 358 दिनांक 20.07.2011 को [illegible] किया गया। जिसमें मृतक सोहनलाल के वारिसान [illegible] मुझ वादी का नाम [illegible]लाल आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण अंकित कर दिया गया है जबकि मुझ वादी का नाम अशोक कुमार हैं।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यह कि खातेदार सोहनलाल के स्वर्गवास के समय उनके एक पुत्र में वादी अशोक कुमार एवं एक पुत्री कमला पुत्री सोहनलाल ही जीवित वारिसान थे लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरते समय अन्य व्यक्तियों द्वारा बताये अनुसार मुझ वादी का नाम पप्पुलाल आत्मज सोहनलाल अंकित कर दिया और ग्राम पंचायत गणेशपुरा द्वारा भी उसे सही मानते हुए फैसल कर दिया गया है जबकि मुझ वादी के सभी दस्तावेजो में मेरा नाम पप्पुलाल अंकित नहीं होकर अशोक कुमार है।

यह कि ग्राम लखमणियास में पप्पुलाल आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण एवं अशोक कुमार आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण नाम का मै वादी अकेला व्यक्ति हूँ।

यह कि मुझ वादी के मुल दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड से भिन्न दस्तावेजात में मुझ वादी का नाम अशोक कुमार आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण ही दर्ज है लेकिन राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी का नाम पप्पुलाल आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण के नाम से दर्ज है। जिससे मुझ वादी को भारी कठिनाईयों एवं दिक्कतो का सामना करना पड़ता है तथा मुझ वादी को अपने हिस्से की कृषि भुमियों को विकसित करने, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने एवं कृषि संबंधी लाभ अनुदान जो सरकार द्वारा जारी किये जाते है मुझ वादी का नाम अलग—अलग दर्ज होने से उनको प्राप्त करने से वंचित रह जाता हूँ। जिससे राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी का नाम पप्पुलाल आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण के बजाय अशोक कुमार आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण दर्ज करने की घोषणा करावाई जाना आवश्यक एवं न्यायोचित होने से यह वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा हेतु प्रस्तुत हैं।

अतः सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा के वर्तमान खाता संख्या 112, 113, 159 में अंकित आराजियात में खातेदार पप्पुलाल आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण के बजाय अशोक कुमार आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण अंकित कराया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 18.02.2020 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि — ग्राम लखमणियास के खाता संख्या 159, 112, 113 में सोहनलाल के पुत्र का नाम पप्पुलाल पिता सोहनलाल ब्राह्मण दर्ज रेकार्ड है, प्रार्थी के बताए अनुसार प्रार्थी का नाम पप्पुलाल नहीं होकर अशोक कुमार है मोतबिरान से जानकारी करने पर जाहिर हुआ कि पप्पुलाल व अशोक कुमार एक ही व्यक्ति है गांव एवं परिवार में अशोक कुमार को पप्पुलाल के नाम से पुकारा जाता है, जिससे पूर्व में राजस्व रेकार्ड में नाम पप्पुलाल दर्ज हो गया जबकि पप्पुलाल व अशोक कुमार एक ही व्यक्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

वादी अधिवक्ता अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों एवं पेरोकार रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वाद बाबत घोषणा यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादी का नाम राजस्व ग्राम लखमणियास के खाता संख्या 112, 113, 159 में पप्पुलाल आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण के बजाय अशोक कुमार आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
15/06/...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिकी

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 28/2020 (2020/00054) दर्ज दिनांक 18.02.2020

वाद– अन्तर्गत धारा –88 आर0टी0 एक्ट

शीर्षक

अशोक कुमार आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण (पारीक) निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः– श्री राजमल तिवारी
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 14.06.2021

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजमल तिवारी , प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 14.06.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि —–—x——— और इस वाद के खर्च लेखे —–—x——— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर —–—x——— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित —–—x——— द्वारा —–—x——— को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादी का नाम राजस्व ग्राम लखमणियास के खाता संख्या 112, 113, 159 में पप्पुलाल आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण के बजाय अशोक कुमार आत्मज सोहनलाल ब्राह्मण राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.27 15:49:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 14.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner